

गरीबी रेखा से नीचे चिन्हित परिवारों के उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण एक बेरोजगार सदस्य के लिये वित्तीय सहायता स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र। (सम्बंधित तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया जावे)

हाल में खिंचा पार्सपोर्ट साईज फोटो चिपकावें, हस्ताक्षर करें, प्रमाणित करावें।

सरपंच / वार्डपंच / विधायक / राजपत्रित अधिकारी
हस्ताक्षर / सील

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. माता का नाम
4. जन्म तिथि
5. वर्तमान निवास का पता
6. स्थायी पता
7. बी0पी0एल0 परिवार का सदस्यता विवरण (1)प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक.....
8. परिवार के अन्य सदस्यों के नाम एवं सम्बंध एवं शैक्षणिक योग्यताएं.....
9. उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण सदस्यों के नाम
10. सदस्य / सदस्यों के नाम जिन्हें पूर्व में ऐसी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई हो:-
11. परिवार की आय वार्षिक आय रू0.....
12. रोजगार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र जिला.....पंजीयन क्रमांक.....
पंजीयन तिथि (जिससे पंजीयन लगातार हैं।)
13. बैंक बचत खातों का विवरण बैंक का नाम.....
शाखा.....
खाता संख्या.....

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उक्त विवरण पूर्णतया सही हैं । मेरे परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को राज्य सरकार से उक्त वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं हो रहा है । एवं मैं आवेदन की तिथि तक किसी भी राजकीय विभाग /स्वायत्तशाषी संस्था /अर्द्ध सरकारी विभाग/पब्लिक सेक्टर संस्था/पंजीकृत कम्पनी या सोसायटी /पंजीकृत न्यास आदि संस्थानों में मासिक वेतन पर नियोजित /नियुक्त नहीं हूँ। वित्तीय सहायता स्वीकृति अवधि में यदि मुझे मासिक वेतन पर उपरोक्त किसी संस्थान में नियोजित/नियुक्त किया जाता है तो मैं इसकी सूचना सम्बंधित तहसील एवं उप खण्ड अधिकारी कार्यालयों में लिखित रूप से दूंगा तथा उक्त संस्थानों से मासिक वेतन पर नियुक्त /नियोजित होने की तिथि के बाद भी यदि मैं बेरोजगार भत्ते का भुगतान प्राप्त करता हूँ तो नियुक्ति /नियोजित होने के माह के पश्चातवर्ती अवधि में प्राप्त की गई राशि सम्बंधित तहसील कार्यालय में जमा करा दूंगा । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दण्डनीय ब्याज सहित जमा करा दूंगा /वसूली की जा सकेगी ।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

(नोट— आवेदन पत्र के साथ क्रम संख्या 6 से 9 पर अपेक्षित सभी प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें । बी.पी.एल. परिवार का सदस्य होने का प्रमाण पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा प्रमाणित होना चाहिये ।)

प्रमाण पत्र

मैं प्रार्थी श्री.....पुत्र श्री.....को जानता हूँ व मेरी जानकारी एवं उपलब्ध प्रमाण पत्र के आधार प्रार्थी सम्बंधी निम्न तथ्य प्रमाणित करता हूँ :-

1. कि प्रार्थी किसी विभाग/स्वायत्तशाषी संस्था /अर्द्ध सरकारी विभाग/पब्लिक सेक्टर संस्था/ पंजीकृत कम्पनी या सोसायटी /पंजीकृत न्यास आदि संस्थानों में मासिक वेतन पर नियोजित /नियुक्त नहीं है ;
2. कि प्रार्थी ग्रामतहसील.....जिला का निवासी है :
3. कि प्रार्थी का परिवार गरीबी की रेखा से नीचे (BPL) का है एवं
4. कि प्रार्थी के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु.....(अंकों रु. मात्र) है ।

पटवारी/सरपंच/वार्ड पार्षद/विधायक/राजपत्रित अधिकारी
हस्ताक्षर/सील

नियोजन कार्यालय में पंजीकरण की प्रामाणिक सूचना

श्री पुत्र श्री निवासी

.....इस कार्यालय में से

नियोजन हेतु पंजीकृत है ।

नियोजन एवं रोजगार अधिकारी

प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र श्री
..... निवासी द्वारा वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में
वर्णित सभी तथ्यों की जांच कर ली गई है तथा दी गई सभी तथ्य एवं सूचनाएं सही हैं। आवेदक वित्तीय सहायता
का पात्र है। आवेदक को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने की अभिशंका की जाती है।

हस्ताक्षर व सील तहसीलदार

(उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के उपयोग हेतु)

तहसीलदारद्वारा की गई अभिशंका के आधार पर आवेदक श्री
..... पुत्र श्रीनिवासी..... को रूपये
300/- प्रतिमाह (अंके रूपये तीन सौ मात्र प्रतिमाह) वित्तीय सहायता दिनांक 1 अक्टूबर, 200-से दो वर्ष की
अवधि के लिए या आवेदक को रोजगार प्राप्त होने या अन्य किसी कारण से अपात्र हो जाने की तिथि तक, जो भी
पहले हो, स्वीकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी / सक्षम अधिकारी
हस्ताक्षर एवं सील

आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा-निर्देश

1. एक परिवार से अधिकतम एक सदस्य आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
2. आवेदन पत्र पर आवेदक का, सरपंच/वार्ड पार्षद/विधायक/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित एवं आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित पास पोर्ट साइज का फोटोग्राफ निर्धारित स्थान पर चिपकाया हुआ होना चाहिए।
3. प्रत्येक आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा:-
क- बी.पी.एल. परिवार का सदस्य होने का साक्ष्य / प्रमाण पत्र
ख- सैकण्डरी एवं उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा अथवा राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न की जानी चाहिये। अन्य परीक्षा अथवा उच्च परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्रों की प्रतियां यदि आवेदक चाहे तो संलग्न कर सकता है।
ग.- रोजगार कार्यालय अथवा राजस्थान सरकार द्वारा नियोजन हेतु नाम पंजीयन के लिये अधिकृत अन्य विभागों में (जैसे समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विभाग आदि) आवेदन की तिथि को कम से कम तीन वर्षों से निरन्तर नाम पंजीयन होने के साक्ष्य/ प्रमाण होने की प्रति,
घ.- परिवार के आय के सम्बंध में प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र में निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

आवेदन पत्र सम्बंधित तहसील कार्यालय में जमा कराने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।